



भा.कृ.अ.प.सरसों अनुसंधान निदेशालय
ICAR-DIRECTORATE OF RAPESEED MUSTARD RESEARCH
 सेवर, भरतपुर 321 303 (राज.)
 Sewar, Bharatpur-321303(Rajasthan)
 (An ISO 9001-2008 Certified Organization)



क्रमांक: 4-119 / एसपी / सुरक्षा / 18 /

दिनांक: 06-11-2018

ई-निविदा का व्यौरा

TENDER OPENING CLOSING AND OTHER RELATED DATES TO BE AS PER THE
DATES OF THE E-PROCUREMENT WEBSITE

निविदा अपलोड करने की निर्धारित तिथि	: 06-11-2018
निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि	: 29-11-2018
निविदा खोलने की तिथि व समय	: 30-11-2018
निविदा की अवधि	: निविदा 90 दिन तक वैध रहनी चाहिए।
कार्य का विवरण	दर प्रतिमाह (जिसमें सुरक्षा गार्डों को "न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948" के अन्तर्गत निर्धारित दरों अनुसार दिये जाने वाली मजदूरी, पी.एफ, ई.एस.आई अशंदान, व्यवसाय कर, आयकर, आयकर पर सरचार्ज तथा और कोई अन्य साविधिक प्रावधान तथा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पूरी की जाने वाली अन्य तमाम जिम्मदारियाँ सम्मिलित हों)
सरसों अनुसंधान निदेशालय के लगभग 40 हेक्टेअर प्रक्षेत्र के क्षेत्रफल में स्थित उपलब्ध समस्त सरकारी सम्पत्ति के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहित भली-भाति सुरक्षा प्रदान करते हुए इन्हें सम्भावित नुकसानों से हर सम्भव तरीकों से बचाने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये (राउन्ड दी क्लॉक) "वार्षिक अनुबन्ध आधार पर सुरक्षा अनुबन्ध" संविदात्मक प्रतिमाह दर पर सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने हेतु ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। सुरक्षा एजेन्सी को निम्नलिखित डियूटी पॉइंटों पर राउन्ड दी क्लॉक के हिसाब से सेवा सुरक्षा देनी होगी।	सभी दरें संलग्न तालिका में भरकर प्रस्तुत करें।
निदेशालय के मुख्य द्वार पर, आवासीय परिसर/अतिथिगृह पर, मुख्य प्रशासनिक कम प्रयोगशाला भवन व फॉर्म कार्यालय पर, तथा एक गनगैन (रात्रि के लिए)	

विषय:- सरसों अनुसंधान निदेशालय में दो बोली प्रणाली (प्रथम तकनीकी विड व दूसरी वित्तिय विड) में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्म/एजेन्सियों से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

नोट:-

1. ठेकेदार के द्वारा सुरक्षा कार्यों के लिये प्रतिमाह के लिये माँगी गई संविदात्मक प्रतिमाह दर के अतिरिक्त कोई भी अन्य भुगतान पी.एफ., ई.एस.आई. अशंदान, व्यवसाय कर, आयकर, आयकर पर सरचार्ज, जी0एस0टी0 तथा अन्य कोई कर का भुगतान निदेशालय द्वारा ठेकेदार को नहीं किया जावेगा बल्कि उपरोक्त सभी कर ठेकेदार के बिल से प्रतिमाह इस निदेशालय द्वारा वसूल किये जावेंगे।
2. ठेकेदार एंव ऐजेन्सियां जिनका प्रदत सुरक्षा गार्डों की आपूर्ति हेतु वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रु0 45.00 लाख प्रति वर्ष हो की, छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
3. निविदाकर्ता दो बोली प्रणाली अर्थात् तकनीकी विड एवं वित्तिय विड को अलग-अलग अपलोड करें।

4. (सुरक्षा आपूर्ति हेतु लिये जाने वाला सर्विस चार्ज दर पूर्ण रूपयों (रु० प्रति सैकड़ा) में देनी/अंकित करनी होगी। पैसे में दी गई निविदाये मान्य नहीं होगी।)
5. भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेवर के द्वारा जो दरें समय-समय पर बदलती हैं वह बदली हुई दरें ठेकेदार को मान्य होंगी।

नियम व शर्तें :-

1. सुरक्षा एजेन्सी राज्य-केन्द्र सरकार की सक्षम एजेन्सी, श्रम विभाग, रजिस्ट्रार सहकारी समिति, सैनिक कल्याण बोर्ड से सुरक्षा कार्य करने हेतु पंजीकृत होनी चाहिए। जिन्हें कम से कम तीन वर्षों का सरकारी/अर्धसरकारी संस्थानों/विभागों में कार्य करने का अनुभव हो।
2. सुरक्षा एजेन्सी फर्मों को पूर्व में राज्य-केन्द्र सरकार के कार्यालयों/संस्थानों में किये गये पिछले 3 वर्ष की अनुबन्धों की स्कैन प्रति लगाना आवश्यक है।
3. सुरक्षा एजेन्सी फर्म निदेशालय के लगभग 40 हेक्टेएर प्रक्षेत्र में स्थित फार्म एवं निविदा प्रपत्र में बताये गये कार्यों के विवरणों के अनुसार सुरक्षा व देखभाल का कार्य करेगी एवं जरुरत पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार भी कार्य करेगी।
4. निविदा में दिये गये कार्यों का विवरण मात्र गाईडलाईन्स है। सक्षम अधिकारी द्वारा इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसे सुरक्षा एजेन्सी को मान्य करना होगा।
5. सुरक्षा एजेन्सी को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेवर के नियमानुसार सुरक्षा सेवा प्रदान करनी होगी, जिसमें पी.एफ., ई.एस.आई. अशंदान, बीमा, सर्विस चार्ज, जीएसटी तथा और कोई अन्य संवैधानिक प्रावधान होंगे वे भी सम्मिलित होंगे तथा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा पूरी की जाने वाली सभी जिम्मेदारियों सम्मिलित होगी निदेशालय द्वारा सुरक्षा एजेन्सी को प्रतिमाह की दर पर किये जाने वाले भुगतान के अलावा कोई अन्य अंशदान/कर का भुगतान निदेशालय से नहीं किया जावेगा।
6. सुरक्षा एजेन्सी को सक्षम अधिकारी द्वारा श्रमिक विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970 की धारा 12(1) के अन्तर्गत लगाये जाने वाले सभी सुरक्षा गार्डों के लिये आवश्यक अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा एजेन्सी द्वारा किसी भी कार्य दिवस में अनुज्ञा पत्र में निहित संख्या से अधिक संख्या में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं करवायेगा।
7. निविदा के साथ निविदाकर्ता सुरक्षा एजेन्सी को वर्ष 2016-17 व 2017-18 या अतिम दो वर्षों का आयकर किलीयरेन्स प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है।
8. i) उपरोक्त कार्य विवरण के अनुसार सुरक्षा एजेन्सी को सामान्यतया निम्नलिखित डियूटी पॉइन्टों पर राउन्ड दी क्लॉक के हिसाब से सेवा सुरक्षा देनी होगी तथा निदेशालय की तमाम सम्पत्ति एवं आवासीय परिसर में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी सम्पत्ति की सुरक्षा करनी होगी :-
 - ii) निदेशालय के मुख्य द्वार पर
 - iii) आवासीय परिसर/अतिथिगृह पर
 - iv) मुख्य प्रशासनिक कम प्रयोगशाला भवन पर
 - v) फॉर्म कार्यालय पर
 - vi) एक गनमैन (रात्रि के लिए)
9. उपरोक्त चार पॉइन्टों पर राउन्ड दी क्लॉक के हिसाब से तथा एक गनमैन (रात्रि पाली के लिए) लगाने होंगे। उपरोक्त के अलावा निदेशक या सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य करना होगा।

10. सुरक्षा एजेन्सी अपने निजी स्टाफ/ कर्मचारी की नियमित भी सुरक्षा कार्य हेतु कर सकती है परन्तु इससे पहले इसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लिखित रूप में लेनी होगी ।
11. सुरक्षा एजेन्सी को अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को देय पारिश्रमिक भत्ते राज0 सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय 1948) के अनुसार जो भी अधिक होगा का भुगतान करना आवश्यक होगा ।
12. सुरक्षा कर्मी फर्म को अच्छा चाल चलन रखने वाले, स्वस्थ परिश्रमी एवं अनुभवी व व्यस्क भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराने होगे जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष की हो उनको वरीयता दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया गया तो बिना कोई कारण बताये सम्बन्धित सुरक्षा कर्मी को निदेशालय के कार्य से हटाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस तरह हटाये गये सुरक्षा कर्मी के एवज में अन्य सुरक्षा कर्मी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराये जावेंगे।
13. सुरक्षा एजेन्सी को सुरक्षा कर्मियों के लिये उचित वर्दी, पानी, आराम की जगह, शौचालय, कैन्टीन आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था स्वयं करेगा । यदि इसमें से कोई सुविधा निदेशालय द्वारा दी जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा इस निदेशालय को करना होगा अन्यथा देय राशि, यदि कोई हो तो ठेकेदार के बिल से सीधे काटे जाने का अधिकार निदेशालय के पास सुरक्षित रहेगा ।
14. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को अनुबन्ध देने से पूर्व **1,25,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र)** या **अनुबन्ध की लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा जमानत राशि** के रूप में जमा कराने होंगे । जमानत राशि ठेके के संतोषजनक रूप से समाप्त होने के बाद वापस कर दी जायेगी ।
15. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को वर्दियाँ, लाठी/डन्डा, बन्दूक, टोर्च, फॉर्म के गार्ड के लिए ड्रेगन लाइट तथा लेखन सामग्री की वस्तुएँ जैसे कि रजिस्टर, पैमाने, पैड, पैन्सिल, स्टेप्लर आदि प्रदान करने होंगे ।
16. सुरक्षा एजेन्सी पिछले माह मे प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्रत्येक माह के पूरा होने के बाद आगामी महीने के प्रथम सप्ताह मे अपना प्रिन्टेड बिजक, निदेशक स0अनु0 निदेशालय को प्रस्तुत करेगा तथा निदेशालय के प्रभारी सुरक्षा / प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवाओं से संबंधित पुष्टि की टिप्पणी/रसीद लेने के बाद बिजक का भुगतान 30 दिन की अवधी में किया जावेगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतुष्टि की टिप्पणी नहीं की जाती है तब सक्षम अधिकारी के स्वविवेक से भुगतान मे से समुचित कटौती की जायेगी, जो सुरक्षा एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा ।
17. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को प्रत्येक माह के बिजको द्वारा दी जाने वाली राशि मे से सेवा कर का भुगतान भी उन्हें ही करना होगा, अतः सुरक्षा अनुबंध देने से पूर्व फर्म को अपना पंजीकरण भी आयुक्त, सेवा कर के पास करना होगा एवं सुरक्षा एजेन्सी फर्म के प्रत्येक बिल से नियमानुसार आयकर, आयकर पर सरचार्ज, सर्विस टैक्स व जीएसटी आदि निर्धारित दरों अनुसार काटा जायेगा। इसके लिये ठेकेदार को अपनी आयकर खाता संख्या सूचित करनी होगी । इसके अतिरिक्त यदि किसी तरह का कोई अन्य टैक्स/कर राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर लगाया जाता है, तो वह भी ठेकेदार को अपने बिल से आवश्यक रूप से देनी होगी । जीएसटी ठेकेदार द्वारा संबंधित विभाग मे जमा कराया जाएगा ।
18. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को सुरक्षा कर्मियों से सम्बन्धित रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन एक्ट 1970 (केन्द्रीय) का पालन करना होगा एवं श्रमिक सम्बन्धी विवाद होने की स्थिति में उनके उचित निपटान हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा, तथा न्यायालय द्वारा यदि कोई मुआवजा तय किया जाता है, उस मुकदमे की पैरवी एवं माननीय न्यायालय द्वारा तय किये गये मुआवजे का भुगतान भी सम्बन्धित ठेकेदार को ही करना होगा ।
19. सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा लगाये जाने वाले सभी सुरक्षा गार्ड /स्टाफ सदस्य , सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारी माने जावेंगे तथा केवल सुरक्षा एजेन्सी ही कार्य पर लगाये गये समस्त कर्मचारीयों के पारिश्रमिक, वेतन और उनके लाभों तथा

सेवा शर्तों के लिये जिम्मेदार होगी तथा सुरक्षा एजेन्सी के कर्मचारियों की किसी भी दावे के विरुद्ध यह निदेशालय किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये बाध्य नहीं होगा ।

20. सुरक्षा एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा एजेन्सी की सेवा संविदा की अवधि के दौरान निदेशालय में कोई हानि या चोरी नहीं हो । सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा स्टाफ/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण, सुरक्षा एजेन्सी की सेवा संविदा अवधि के दौरान निदेशालय में यदि चोरी होती है या हानि होती है तो सुरक्षा एजेन्सी ऐसी किसी भी हानि आदि के लिये जिम्मेदार ठहराई जाएगी, यदि उचित रूप से गठित जॉच (जिसमें निदेशालय के दो सदस्य और सुरक्षा एजेन्सी का एक सदस्य सम्मिलित होंगे) में यह निष्कर्ष निकलता है कि हानि सुरक्षा एजेन्सी के सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई है तब उसकी क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेन्सी को करनी होगी ।
21. सुरक्षा एजेन्सी **6.00 बजे प्रातः से 2.00 बजे अपराह्न, 2.00 बजे अपराह्न से 10.00 बजे रात्रि, 10.00 बजे रात्रि से प्रातः 6.00 बजे** तक 24 घंटे की तीन पारियों में पूर्व के पैराग्राफ में उल्लेखित दरों पर सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं प्रदान करेगी । सुरक्षा एजेन्सी का सुरक्षा पर्यवेक्षक भी उपरोक्त समय तक की पारियों में निरंतर सुरक्षा कार्य के पर्यवेक्षण कार्य के लिये उपस्थित रहेंगे ।
22. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को सभी वेतन संबंधी तथा अन्य सेवा शर्तों एवं सभी श्रमिक विनियम उन्मूलन अधिनियम 1970, वर्कमेन कम्पनशेसन एकट, ई.पी.एफ., तथा एम.पी.एफ., औद्योगिक विवाद एवं अधिनियम आदि कानूनी बंधनों का पालन आवश्यक रूप से करना होगा ।
23. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को उनके द्वारा नियुक्त सभी सुरक्षा कर्मियों का सामान्य कानूनों के तहत वर्कमेन कम्पनशेसन एकट के तहत बीमा करवायेगी, ताकि उसके अधीनस्थ कार्यरत ठेका श्रमिकों (कर्मचारियों) को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति का लाभ भी मिल सके ।
24. किसी भी प्रकार के व्यवधान को आपसी सहमति से सुलझाया जावेगा, फिर भी अगर कोई मतभेद रहता है, या उपरोक्त शर्तों में संदेह होने पर आर्बिट्रेशन एवं कन्सीलेशन अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा मनोनीत मध्यस्थ के निर्णय को अन्तिम माना जावेगा एवं यह निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा ।
25. सुरक्षा एजेन्सी फर्म को अनुबन्ध करने से पूर्व अनुबन्ध की सभी नियम एवं शर्तों को राज० में प्रचलित दर के अनुसार उपयुक्त मुल्य के नोन-ज्यूडीशियल स्टेम्प पेपर पर टाईप करवाकर हस्ताक्षर करते हुए एवं साक्षी के भी हस्ताक्षर करवाते हुए इस निदेशालय को शीघ्र प्रस्तुत करना होगा ।
26. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष की होगी । जिसे आपसी सहमति के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है । अगर सुरक्षा एजेन्सी की सेवायें किसी भी समय संतोषजनक नहीं पायी गयी तो निदेशालय को यह अधिकार होगा कि सुरक्षा एजेन्सी की सेवायें एक सप्ताह के नोटिस पर बिना कोई कारण सूचित किये हुए ठेका को समाप्त किया जा सकता है तथा यह भी अधिकार होगा कि ठेका किसी अन्य एजेन्सी को दिया जा सकता है जिसका पूरा खर्च वर्तमान एजेन्सी को वहन करना होगा तथा खर्च की राशि ठेकेदार की जमानत राशि, लम्बित बिल या अलग से प्राप्त बिल से वसूल की जायेगी । इस सम्बन्ध में इस निदेशालय के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सफल संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर निदेशक महोदय को यह भी अधिकार होगा कि वे अवधि से पूर्व भी इस अनुबन्ध को समाप्त कर दें तथा जमानत राशि भी जब्त करले ।
27. पूर्ण रूप से भरी हुई ई-निविदा को (Online) scan कर (Upload) जमा करानी होगी ।
28. पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा को निर्धारित धरोहर राशि **रु0 30,000/-** जो कि भारतीय स्टेट बैंक पर जारी डिमाण्ड ड्राफट या बैंकस चैक (ICAR UNIT DRMR, भरतपुर के नाम से देय हो) सहित दिनांक

29—11—2018 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीनरथ कय अनुभाग में सम्बन्धित कय सहायक के पास जमा कराया जाना आवश्यक होगा ।

29. केवल ई—निविदा ही मान्य होगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुई निविदा मान्य नहीं होगी।
30. सुरक्षा एजेन्सी की लापरवाही से उसके द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मी को यदि कोई क्षति/हानि होगी तो उन सभी दावों, हानि की क्षतिपूर्ति सुरक्षा एजेन्सी को ही करनी होगी ।
31. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मियों का इस निदेशालय से कोई नियोक्ता व कर्मचारी का रिश्ता नहीं होगा ।
32. सुरक्षा कार्य इस निदेशालय द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी की देखरेख में करना होगा ।
33. निदेशालय के बाहर कोई भी वाहन, वस्तु, बिना गेट पास के नहीं जायेगी । इस स्थिति मे सुरक्षा गार्ड को सम्बन्धित व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी से गेट पास प्राप्त कर ही बाहर जाने होगा ।
34. निदेशक स0 अनु0 निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे किसी भी एक ई—निविदा अथवा समस्त ई—निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकते हैं तथा उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशक की कोई जवाबदेही भी नहीं होगी ।
35. निदेशक स0 अनु0 निदेशालय, भरतपुर को यह भी अधिकार होगा कि वे न्यूनतम दर वाली ई—निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगे तथा उसके लिये किसी भी निविदादाता के प्रति निदेशालय के निदेशक की किसी तरह की कोई जवाबदेही भी नहीं होगी ।
36. ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. की छूट के लिये आवश्यक प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें ।
37. सम्बन्धित सुरक्षा एजेन्सी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए ।
38. उपरोक्त शर्तों के बावजूद निम्नलिखित आकस्मिक स्थितियों मे निदेशालय समझौते को समाप्त भी कर सकता है ।
39. क) यदि सुरक्षा एजेन्सी अपना कार्य निदेशालय की संतुष्टि के अनुसार नहीं कर रही है, जिसका निर्णय केवल निदेशालय द्वारा ही किया जायेगा ।
- ख) यदि सुरक्षा एजेन्सी निदेशालय के परिसर मे पदस्थ सुरक्षा कर्मियों के प्रति वैधानिक दायित्वों का पूर्णतया पालन नहीं करती है ।
- ग) यदि किसी भी कारण से सुरक्षा एजेन्सी लगातार 10 दिन अथवा उससे ज्यादा दिन तक इस समझौते के अंतर्गत कार्य करने मे असमर्थ हो ।
- घ) यदि सुरक्षा एजेन्सी इस समझौते के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रही हो ।
- ङ) यदि सुरक्षा एजेन्सी की ओर से काम की उपेक्षा या दुव्यर्वहार के फलस्वरूप निदेशालय द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्राहकों/आगन्तुकों को किसी तरह के नुकसान की भरपाई करने की जरूरत हो ।
- च) यदि सुरक्षा एजेन्सी की समाप्ति के बाद उन्हें दिए गए उपकरण आदि वापस करने मे असमर्थ हो ।
- छ) सुरक्षा एजेन्सी को रोजगार एवं कल्याण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निजी सुरक्षा गार्ड एजेन्सी के रूप मे कार्य करने हेतु यदि भारत सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो वह निदेशालय को तुरन्त सूचित करेगी । सुरक्षा एजेन्सी संविदा श्रमिक (विनियम तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 12 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करेगी तथा किसी अन्य के अन्तर्गत उन्हें सम्बन्धित प्राधिकरण से पंजीकृत भी करवाएगी । अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा एजेन्सी को संविदा श्रमिक (आर एण्ड आर) अधिनियम 1970 के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत लाइसेंस लेना होगा । इन अनुबंधों का अनुपालन न होने पर संविदा समाप्त हो जाएगी ।

ज) निदेशालय को सुरक्षा निधि बोर्ड के अन्तर्गत कार्यालय संबंधी जबाबदेही के लिये जिम्मेदार नहीं माना जा सकेगा। सुरक्षा एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह सुरक्षा गार्ड बोर्ड के अधिकारियों को सन्तुष्ट रखे।

झ) किसी भी परिस्थिति में निदेशालय को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा अथवा जो पारस्पारिक सहमति हुई थी उसके अलावा अतिरिक्त आर्थिक मामलों में सम्बद्ध न किया जाए।

छ) दण्ड प्रावधान

40. सुरक्षा पर्यवेक्षक तथा सुरक्षा गार्डों के पास ड्यूटी पर निर्धारित यूनिफार्म, टोपी, लाठी, टॉर्चलाइट, नामबैज, जूते, गन और परिचय पत्र आदि होने चाहिए।
41. सामान्यता कोई भी सुरक्षा पर्यवेक्षक / सुरक्षा गार्ड लगातार दो शिफ्ट में दोहरी ड्यूटी नहीं करेंगे। यदि कोई सुरक्षाकर्मी ड्यूटी से बिना सूचना अनुपस्थित पाया जाएगा तो बिल से मजदूरी की दुगुनी धनराशि वसूली जाएगी।
42. सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी सूची प्रत्येक दिवस को इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
43. सुरक्षा का कार्यभार लेने से पूर्व सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्डों के छायाचित्र सहित उनकी एक सूची कार्यालय रिकार्ड के लिए उपलब्ध करायी जावे जिसमें उनके स्थाई पते भी हों।
44. ई-विड में (Annexure 1 to 5) तकनीकी विड तथा (Annexure 6) वित्तीय विड को अलग-अलग अपलोड करें। तकनीकी विड में वित्तीय विड का कोई उल्लेख (Part) नहीं होना चाहिए। (संलग्न)

उपरोक्त वर्णित नियमों एवं शर्तों के अलावा यदि अन्य कोई नियम या शर्त आवश्यक समझी गयी तो उन्हें भी समय समय पर सूचित करते हुए लागू कर दिया जावेगा जो सम्बन्धित ठेकेदार पर बन्धनकारी होगी।

भवदीय,

Sd.

स०प्र०अ० / वरि०प्र०अ०

ठेके पर सुरक्षा व्यवस्था की नियम एवं शर्तें

1. सुरक्षा गार्ड स्वस्थ, वांछित शारीरिक गठन और पर्याप्त अनुभव वाले होने चाहिए तथा इनका स्थान समय-समय पर बदलते रहना चाहिए ।
2. सुरक्षा गार्ड हिन्दी में तथा यदि संभव हो तो अंग्रेजी भाषा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए ।
3. गार्ड को प्रतिदिन एक पारी (शिफ्ट) की ड्यूटी करनी होगी, सामान्यतया दो पारियों में (डबल शिफ्ट) ड्यूटी करते की अनुमति नहीं होगी ।
4. गार्ड स0 30 निदेशालय के कर्मचारियों के साथ परस्पर सामाजिक संबंध विकसित नहीं करेंगे ।
5. गार्डों को वर्दी, सीटी, टार्च, लाठी आदि सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रदान की जाएगी ।
6. सुरक्षा गार्ड द्वारा ड्यूटी के समय स्वच्छ वर्दी पहननी होगी तथा पहचान-पत्र साथ रखना होगा ।
7. सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी का स्थान तब तक नहीं छोड़ंगे जब तक अगली पारी (शिफ्ट) की ड्यूटी के लिए उनका एवजी (रिलीवर) कार्य ग्रहण नहीं करता ।
8. निदेशालय के मुख्य द्वारा और अन्य स्थानों पर रखें गए समस्त रजिस्टरों का रख-रखाव सुरक्षा पर्यवेक्षक (सुपरवाईजर) द्वारा किया जाएगा ।
9. वे सम्पूर्ण कार्यालय के सभी कमरों की शाम 5.30 बजे के बाद जांच करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे की समस्त भवन को उचित रूप से ताला बन्द कर दिया गया है ।
10. रात 10 बजें से सुबह 6 बजे तक रोटेशन से परिसर में सुरक्षा पर्यवेक्षक अवश्य ही गश्त ड्यूटी पर रहेंगे तथा गश्त ड्यूटी के दौरान ये पम्प हाउस सहित भवन के समस्त तालों की जाच करेंगे ।
11. ड्यूटी में इनके द्वारा कोई शिथिलता/ढीलापन या लापरवाही नहीं बरती जाए तथा इन्हें ड्यूटी पर सावधान और चौकन्ना रहना होगा ।
12. ये समस्त कार्मिकों, श्रमिकों तथा आगन्तुकों आदि की गतिविधियों की निगरानी करेंगे ।
13. आगन्तुक रजिस्टर में इन्द्रराज किए बगैर ये किसी भी बाहरी व्यक्ति को वाहन के साथ कार्यालय के परिसर के अन्दर नहीं आने देंगे ।
14. पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर ही समस्त वाहनों को पार्क कराया जावेगा । सुरक्षा गार्ड द्वारा परिसर में अन्दर आने तथा बाहर जाने वाले वाहनों की जांच की जाएगी ।
15. निदेशालय के किसी भी कार्मिक को चाबी सौंपते समय तथा इन्हें ग्रहण करते समय उचित इन्द्रराज किए जावेंगे ।
16. सुरक्षा कार्मिक उपस्थिति का सख्ती से पालन करेंगे तथा जब कभी भी कोई सुरक्षा पर्यवेक्षक / सुरक्षा गार्ड अवकाश पर जाए तो इस कार्यालय को सूचित करते हुए वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं ।
17. सुरक्षा पर्यवेक्षक / सुरक्षा गार्डों की पदस्थापना में परिवर्तन होने पर तदाशय की सूचना सम्बन्धित अधिकारी को तत्परतापूर्वक देनी होगी ।
18. रात्रि के समय पहचाने गए स्थानों की गस्त हर घंटे करनी होगी ।
19. सुरक्षा कार्मिकों को ड्यूटी के समय सुरक्षा प्रणाली को कोड संबंधी औपचारिकता का अनुसरण करना होगा ।
20. सुरक्षा कार्मिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर से बाहर ले जाई जाने वाली वस्तुओं का सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित गेट-पास जारी किया गया है । किसी भी प्रकार की शंका होने पर इन्हें शीघ्र सुरक्षा प्रभारी से सम्पर्क करना चाहिए ।
21. सुरक्षा गार्ड अग्निशमन के कार्यों के लिए प्रशिक्षित होने चाहिए ।

**तकनीकी विड
(प्रपत्र-अ)
फर्म/ठेकेदार का विवरण**

1. निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राइटर का नाम :
2. निविदादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का नाम व पता :
मैसर्स.....
- 3.. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: निवास: मोबाइल नं.
(ब) ई. मेल पता :
4. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण : (साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो)
5. अधिकृत डीलरशीप/एजेन्सी का प्रमाणपत्र नम्बर :
6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर :
7. जीएसटी नम्बर :
8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस टैक्स नम्बर :
9. फर्म/ठेकेदार के बैंक का नाम व पता : बैंक का आई. एफ.एस.सी. कोड नम्बर : बैंक खाता नम्बर :
10. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) रु. 30,000/- ICAR Unit DRMR के पक्ष में Payable at Bharatpur डी.डी./बैंकर चैक नं. दिनांक बैंक का नाम
11. ई-निविदा प्रपत्र को बिना काट-छाट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर सहित स्कैन कर ई-निविदा वेबसाइट <http://eprocure.gov.in> में उल्लेखित समय अवधि के भीतर अपलोड करें।
12. विस्तृत जानकारी हेतु देखें डी.आर.एम.आर. वेबसाइट : <http://eprocure.gov.in>

Signature of tenderer with seal

TECHNICAL BID
CHECKLIST OF DOCUMENTS SUBMITTED

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page no.	Remarks
1.	Details of EMD deposited for Rs 30,000/-			
2.	Copy of Registration of firms			
3.	Copy of Registration Certificate of ESI			
4.	Copy of Registration Certificate of EPF			
5.	Copy of Service Tax Registration			
6.	Copy of PAN/TAN Card			
7.	Copy of Labour licence under contract labour (R&A) Act,1970/CL(R&A) central rules. The contractor shall obtain the labour licence under this act.(If applicable)			
8.	Experience Certificate for at least 3 years (list of clients.) Services in central Govt./State Govt.			
9.	Copy of Income Tax Return for last 3 years			
10.	Audited statement from Chartered Accountant for last 2 years			
11.	Latest ESI/EPF Challan for ascertaining the number of workers has to be attached.			
12.	Minimum turnover of the firm not less than Rs. 45.00 Lakh in each of the last 2 years.			
13.	Rate quoted complies with the Minimum Wages Act. Of Govt. of India (Central Govt./State Govt.) which ever is with all other statutory provisions			
14.	A Certificate under private Security Agency regulation Act, 2005			

Annexure - 4

Detail of the Minimum 3 years' experience/work done with name of clients

S. No.	Name of Client Dept./Organisation & Name of Contact person with Ph. No.	Period		No. of staff	Remarks
		From	To		
1.					
2.					
3.					

Signature with Seal of authorized signatory of firm

Full Name of Bidder with Address & Date

Undertaking

1. I, _____
Son/Daughter/Wife/ of Shri _____
Proprietor/Director/authorized signatory of the Company/Firm mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them.
3. The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false information fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Place:

Date:

**Signature & Name of the authorized
Singatory with Seal of the Firm**



भा.कृ.अ.प.सरसों अनुसंधान निदेशालय
ICAR-DIRECTORATE OF RAPESEED MUSTARD RESEARCH
 सेवर, भरतपुर 321 303 (राज0)
 Sewar, Bharatpur-321303(Rajasthan)
 (An ISO 9001-2008 Certified Organization)

Tel: 05644 -260495, 260379 (O)
 Fax: 05644- 260565
 Website : <http://dfrm.res.in>
 Email director.dfrm@gmail.com



Proforma for price bid

Annxure - 6

Sr. No.	Minimum wages for security guard	Detailed amount
1.	Monthly payment for guard without armed	Rs.
2.	Weekly off	Rs.
	Total payment for security guard without armed	Rs.
3.	Monthly payment for guard with armed	Rs.
4.	Weekly off	Rs.
	Total payment for security guard with armed	Rs.
	G. Total	Rs.
	EPF (As per Govt. of India rule)	Rs.
	Service charges of the agency	Rs.
	ESI (As per Govt. of India rule)	Rs.
	G. Total for minimum payment paid to the firm	Rs.
	GST (As per Govt. of India rule)	Rs.
		Extra if applicable

Signature with seal of authorized signatory

I/we agree to the forfeiture of the earnest money deposited by me/us in connection with this tender if I/we fail to comply with any of the terms & conditions in whole or in part as laid down in the quotation form. We have carefully read the terms and conditions of the tender and agree to abide by these in letter and spirit.

Name & address of the firm:

Signature with seal of authorized signatory of the firm